झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः–02 / स्था०(एम०ए०सी०पी०)–18–91 / 2016————— / राँची, दिनांक ——————— /

–: आदेश :–

अवमाननावाद सं०–601 / 2015 उत्पल कुमार मुखर्जी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा अवमाननावाद सं०–559 / 2015 देवव्रत भट्टाचार्य एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा पारित न्याय निर्णय दिनांक 10 / 07.04.2017 का अंश निम्नवत् है :–

"......In respect of petitioner no-02 of WP(s) No-3266 of 2014, Satya deo Choudhary and petitioner no.-12 of WP(s) No.-5266 of 2014. Binod Kumar, it was found that 2nd ACP was granted without, sanction of 1st ACP. They have issued a show cause upon these two petitioners to clarify the matter.

Counsel for the petitioners submits that these two petitioners have also filed their reply. Department may take call in the matter at an early date.

Petitioner no.-05 of WP(s) No.-3266 of 2014. Sharda Singh is facing departmental proceeding under Rule 43"b" of pension Rule. Therefore, his case was not found fit to be considered for grant of 3rd MACP. Petitioners no.-13 of WP(s) No.-5266 of 2014 Rama Nand Jha has not submitted his service details despite fresh advertisement. Therefore this case could not be considered till date.

Having regard to the aforesaid show cause filed on behalf of opposite parties, order under offence has been complied with. Opposite party official of department would consider the cases of two petitioners referred to here in above on receipt of their reply.

Accordingly, contempt petition are accordingly disposed of. Proceedings are dropped."

अवमाननावाद सं०–601 / 2015 उत्पल कुमार मुखर्जी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा अवमाननावाद सं०–559 / 2015 देवव्रत भट्टाचार्य एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा आदेश दिनांक 07.04.2017 को पारित न्यायनिर्णय के क्रम में श्री सत्यदेव चौधरी द्वारा अपना ACP/MACP की स्वीकृति हेतु अवमाननावाद सं०–Cont. Case(c) No-488/2017 माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची में दायर किया गया है।

2. श्री सत्यदेव चौधरी, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता (चालू प्रभार) को ACP/MACP की स्वीकृति प्रदान करने की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभागीय अधिसूचना सं०–1290 दिनांक 24.03.2006 के क्रमांक–289 पर अंकित है कि श्री चौधरी को, प्रथम ACP देय नहीं है। अतः दिनांक 09.08.2004 के प्रभाव से इन्हें द्वितीय ACP वेतनमान् 14300–18300 में स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई। बिना प्रथम ACP की स्वीकृति प्रदान किये द्वितीय ACP का लाभ स्वीकृत किया जाना नियमानुकूल नहीं है।

3. उपरोक्त के क्रम में विभागीय पत्रांक–1466 दिनांक 21.03.2017 द्वारा श्री चौधरी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण में अंकित किया गया कि बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग के पत्रांक–411 दिनांक 24.03.2001 के द्वारा उन्हें "देय तिथि से पाँच वर्षो तक प्रोन्नति पर रोक" का दण्ड संसूचित है। श्री चौधरी ने अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया है कि उनकी सेवा आरंभ की तिथि 06.02.1979 है एवं दिनांक 06.02.1991 को उनकी सेवा को 12 वर्ष पूर्ण

हो जाती है एवं दण्डादेश के 05 वर्षो के कुप्रभाव जोड़ने के बाद यह तिथि 06.02.1996 होती है। अतः दिनांक 09.08.1999 के प्रभाव से प्रथम ACP, दिनांक 06.02.2003 के प्रभाव से द्वितीय ACP एवं दिनांक 06.02.2009 के प्रभाव से 3rd MACP की देयता अनुमान्य करने का अनुरोध किया गया है।

4. ACP की देयता के संदर्भ में वित्त विभाग, झारखण्ड रॉची द्वारा निर्गत संकल्प सं॰-5207 दिनांक 14.08.2002 के कंडिका–3(iii) में अंकित है कि "ए॰सी॰पी॰ योजना का लाभ निर्धारित पात्रता अवधि पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 09.08.1999 जो बाद की तिथि हो, से प्रदान किया जायेगा"। उक्त के क्रम में स्पष्ट है कि ACP योजना दिनांक 09.08.99 से प्रभावी है। फलस्वरूप श्री चौधरी का प्रथम ACP प्राप्त करने हेतु पात्रता की तिथि 09.08.99 है। उपरोक्त पॉच वर्ष प्रोन्नति पर रोक के दण्ड संसूचन के कारण प्रथम ACP की देय तिथि 09.08.99 से विलम्बित होकर 09.08.2004 होता है।

5. इसी प्रकार वित्त विभाग, झारखण्ड रॉची के उपरोक्त संकल्प सं॰–5207 दिनांक 14.08.2002 के कंडिका–03(iv) के अनुसार द्वितीय ACP की देय तिथि 06.02.2003 उपरोक्त दण्ड संसूचन के कारण पॉच वर्ष विलंबित होने से 06.02.2008 होता है।

6. श्री चौधरी को उपरोक्त संसूचित दण्ड एवं वित्त विभाग के सुसंगत परिपत्रों के आलोक में तृतीय MACP की देय तिथि 06.02.2009 पाँच वर्ष विलम्बित होगी तथा इसकी देय तिथि 06.02.2014 होगी।

7. दिनांक 08.08.2017 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति के द्वारा में श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत उन्हें संसूचित दण्ड के मद्देनजर वित्त विभाग के सूसंगत परिपत्रों के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं॰–1290 दिनांक 24.03.2006 द्वारा श्री चौधरी को दिनांक 09.08.2004 से स्वीकृत द्वितीय ACP वेतनमान् 14300–18300 को संशोधित करने की अनुशंसा की गयी।

8. वर्णित स्थिति में विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा श्री चौधरी को विभागीय अधिसूचना सं॰–1290 दिनांक 24.03.2006 द्वारा दिनांक 09.08.2004 से प्रदत द्वितीय ACP को संशोधित करते हुए निम्न रूप में ACP/MACP की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गयी है।

(1) प्रथम ACP का लाभ वेतनमान् 10000–15200 में स्वीकृति की तिथि 09.08.2004।

(2) द्वितीय ACP का लाभ वेतनमान् 14300–18300 में स्वीकृति की तिथि 06.02.2008।

(3) तृतीय MACP का लाभ वेतनमान् 37400–67000, ग्रेड पे 8900 में स्वीकृति की तिथि 06.02.2014।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री सत्यदेव चौधरी, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता (चालू प्रभार) को निम्न रूप में स्वीकृति दी जाती है :–

(1) दिनांक 09.08.2004 से प्रथम ACP का लाभ वेतनमान् 10000–15200 में स्वीकृत किया जाता है।

(2) दिनांक 09.08.2004 से प्रदत द्वितीय ACP वेतनमान् 14300–18300 को संशोधित करते हुए दिनांक 06.02.2008 से द्वितीय ACP का लाभ वेतनमान् 14300–18300 में स्वीकृत किया जाता है।

(3) तृतीय MACP का लाभ वेतनमान् 37400–67000, ग्रेड वेतन 8900 में दिनांक 06.02.2014 से स्वीकृत किया जाता है।

यह वित्तीय उन्नयन निम्नांकित शर्त्तो के अधीन देय है :–

(i) सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना दिनांक 09.08.99 से प्रभावी है किन्तु इसके अंतर्गत वित्तीय लाभ दिनांक 15.11.2000 से देय होगा।

(ii) संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना दिनांक 01.09.2008 से प्रभावी है।

(iii) संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना एवं सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।

(iv) सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना एवं संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना हेतु संबंधित कर्मियों के वेतन का निर्धारण क्रमशः वित्त विभाग के संकल्प सं०–5207 दिनांक 14.08.2002 एवं 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा।

(v) भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा। तथा किसी कारणवश देय वेतन से अधिक भुगतान का मामला प्रकाश में आने पर अतिरेक भुगतान की गयी राशि की वसूली कर ली जायेगी और इसके विरूद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।

9. आदेश पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

10. उक्त आदेश की प्रति श्री सत्यदेव चौधरी, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता (चालू प्रभार) को उपलब्ध करा दी जाय।

ह०/–

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)
सरकार के अवर सचिव (प्र०)।

ज्ञापांक :– राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)
सरकार के अवर सचिव (प्र०)।

ज्ञापांक :– 3691 राँची, दिनांक :– 09-08-17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल समन्वय एवंनिगरानी विभाग, झारखण्ड राँची/ अभियंता प्रमुख–01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव(प्रबंधन कोषांग सहित)/ सभी संबंधित मुख्य अभियंता/ सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता/ सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ प्रशाखा पदाधिकारी–01, 02/ वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.8.17

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)
सरकार के अवर सचिव (प्र०)।